बिहार सरकार,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

जी0एस0आर0------------पटना, दिनांक-

सरकार की राय में राज्य के किसानों को अपनी उपज का सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने तथा धान एवं चावल की उपलब्धता एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में अधिप्राप्ति केन्द्रों का संचालन आवश्यक एवं समीचीन है ।

2. खरीफ विपणन मौसम 2015-16 के अन्तर्गत धान एवं चावल की अधिप्राप्ति करने हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया जाता है। बिहार राज्य खाद्य निगम तथा पैक्स/व्यापार मंडल को अधिप्राप्ति अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया जाता है। बिहार राज्य खाद्य निगम, प्रत्येक अनुमंडल में अपने क्रय केन्द्रों के माध्यम से धान अधिप्राप्ति करेगा। प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स)/व्यापार मंडल द्वारा किसानों से क्रमशः पंचायत/प्रखंड स्तर पर धान का क्रय किया जायेगा एवं उस परिप्रेक्ष्य में सी0एम0आर0 बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) भारत सरकार के पत्र सं0 4(4)/2014-Py.I दिनांक- 26.06.2015 के द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2015-16 के अन्तर्गत धान के साधारण एवं ग्रेड 'ए' का न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नवत् है :-

		(रूपये प्रति क्वींटल)
धान	**साधारण**	**1410.00**
	ग्रेड 'ए'	**1450.00**

खरीफ विपणन मौसम 2015-16 के अन्तर्गत कस्टम मिल राईस (CMR) का दर भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्रभावी होगा ।

4 खरीफ विपणन मौसम 2015-16 के अन्तर्गत **धान** अधिप्राप्ति कार्यक्रम क्रमशः **दिनांक-01.12.2015 से 31.03.2016 तक** के लिए तथा **सी0एम0आर0** की अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक **01.12.2015 से 30.06.2016 तक** के लिए प्रभावी होगा ।

5. यह अधिसूचना खरीफ विपणन मौसम 2015-16 के अन्तर्गत दिनांक- 01.12.2015 से दिनांक 30.06.2016 तक के लिए प्रभावी होगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30/11/2015
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक : प्र010/ख.वि.अधि.-09/15- 8992 /खाद्य, पटना-15, दिनांक- 30.11.2015

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, गुलजारबाग, पटना-7 को अनुलग्नक सहित सूचना एवं गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए गजट की एक सौ प्रतियाँ अद्योहस्ताक्षरी को शीघ्र भेजने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक :- दो हार्ड प्रति एवं एक सी.डी.

30/11/2015
सरकार के सचिव

D:\Section\10\2015\Sec\KMS 2014-15.doc

ज्ञापांक– प्र010 / ख.वि.अधि.–09 / 15– 8992 / खाद्य,, पटना–15, दिनांक– 30.11.2015

प्रतिलिपिः– सरकार के सभी प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / सभी सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/11/2015
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र010 / ख.वि.अधि.–09 / 15– 8992 / खाद्य,, पटना–15, दिनांक– 30.8.2015

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना / विकास आयुक्त, बिहार, पटना / संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार / माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव / सचिव कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित ।

30/11/2015
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र010 / ख.वि.अधि.–09 / 15– 8992 / खाद्य,, पटना–15, दिनांक– 30.11.2015

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेब–साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई–मेल करने हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना ।

30/11/2015
सरकार के सचिव ।